उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010

दुग्ध चूर्ण परिवहन कार्य हेतु अल्पकालीन ई–निविदा प्रपत्र

ई–निविदा क्रमांक उ.दु.स./सं.सं./2023/4052 दिनांकः 04/10/2023

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456 010
फोन नं. 0734–2527071
ई–मेल : **udsplant@yahoo.com**

ई–निविदा प्रपत्र मूल्यः– रू. 500.00

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail: udsmis@yahoo.com

क्रमांक: उ.दु.सं./सं.सं./2023/4052 दिनांक: 04/10/2023

–: ई–निविदा सूचना :–

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के द्वारा इन्दौर, ग्वालियर, सीहोर से उज्जैन दुग्ध संघ तक दुग्ध चूर्ण परिवहन कार्य हेतु परिवहनकर्ता की आवश्यकता है। इस हेतु उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा दुग्ध चूर्ण परिवहन कार्य हेतु ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जो कि ई–टेण्डर की वेबसाइट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। ई–निविदा से सम्बन्धित विवरण एमपी स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर www.sanchidairy.com या उज्जैन दुग्ध संघ की वेब साईट www.sanchiujjain.com में केवल अवलोकन किया जा सकता है।

ई–निविदा की मुख्य जानकारी निम्नानुसार है

निविदा डाउनलोड की अंतिम दिनांक व समय	निविदा अपलोड की अंतिम दिनांक व समय	तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय	अमानत राशि (केवल ऑनलाईन जमा)
12.10.2023 02.00 PM	12.10.2023 03.00 PM	13.10.2023 03.00 PM	रू. 25,000/–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063
E-mail: udsmis@yahoo.com

क्रमांक: उ.दु.सं./सं.सं./2023/4052 उज्जैन, दिनांक : 04/10/2023

	निविदा कार्य –दुग्ध चूर्ण के परिवहन कार्य हेतु ई-निविदा।

	ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू. 500.00/– (अक्षरी– रूपये पांच सौ मात्र)
1.	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 12.10.2023 समय 02.00 PM (टेन्डर ई पोर्टल के माध्यम से)
2.	ई–निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 12.10.2023 समय 02.00 PM (टेन्डर ई पोर्टल के माध्यम से)
3.	तकनीकी ई–निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	दिनांक: 13.10.2023 समय 03.00 PM (टेन्डर ई पोर्टल के माध्यम से)
4.	ई–निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010
5.	पत्र व्यवहार हेतु पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010
6.	अमानत राशि	रू.25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) (टेन्डर ई पोर्टल के माध्यम से)
7.	संलग्न प्रपत्र	परिशिष्ट – 01 (कार्य का विवरण) परिशिष्ट– 02 (सामान्य नियम/शर्ते) परिशिष्ट–03 (अनुबंध प्रपत्र) परिशिष्ट– 04 (तकनीकी निविदा प्रपत्र) परिशिष्ट– 05 (दर प्रपत्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

परिशिष्ट--(1)

कार्य का विवरण

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा इन्दौर, ग्वालियर एवं सीहोर में स्थित दुग्ध संघ/निजी डेयरी संयंत्रों से डेयरी संयत्र उज्जैन या उज्जैन दुग्ध संघ के किराये पर लिये गये गोदामों तक दुग्ध चूर्ण (मिल्क पावडर) परिवहन किया जाना है। निविदा अवधि 01 वर्ष में दुग्ध चूर्ण परिवहन की अनुमानित मात्रा 1500 मेट्रिक टन रहेगी। मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है।

परिशिष्ट (02)

सामान्य नियम एवं शर्तें

1. निविदा प्रपत्र पूर्ण कर निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रू. 25,000/– (रू. पच्चीस हजार मात्र) का ऑनलाइन भुगतान किया जाना चाहिये। बिना अमानत राशि के किसी भी निविदा पर विचार नही किया जावेगा। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। यदि निविदा स्वीकार नही की जाती है तो ऐसी स्थिति मे अमानत राशि निविदा पोर्टल से स्वतः वापस हो जायेगी।

2. निविदाकर्ता को तकनीकी निविदा के साथ जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र, FSSAI प्रमाण–पत्र, Pan Card अपलोड करना आवश्यक होगा। FSSAI प्रमाण–पत्र नहीं होने की स्थिति में सफल निविदाकार को कार्य प्रारम्भ के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

3. ई–निविदा के ऑनलाइन तकनीकी प्रपत्र कार्यालय में समिति के समक्ष खोले जावेंगे। ई–निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगें।

4. निविदाकर्ता की दर स्वीकृत होने पर न्यूनतम दर निविदाकार की अमानत राशि सुरक्षा निधि में समायोजित की जायेगी।

5. परिवहनकर्ता को निविदा की सभी शर्ते मान्य होगी।

6. ठेके/अनुबन्ध की अवधि 01 वर्ष की रहेगी, जो कि उभय पक्ष की सहमति से 06 माह तक वृद्धि की जा सकेगी।

7. परिवहन दर अनुमोदन के पश्चात तुरन्त प्रभावशील मानी जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन को आवश्यकतानुसार परिवहन सामग्री की मात्रा को घटाने या बढ़ाने हेतु पूर्णतः अधिकार रहेगा।

8. परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध चूर्ण की पूर्ण मात्रा समयावधि में यदि परिवहन नहीं की जाती है, तो संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अधिक लगने वाली राशि की वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

9. परिवहनकर्ता द्वारा दर अनुमोदन के उपरांत वाहन निर्देशानुसार नहीं भेजे जाते है, तो अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर अन्य परिवहनकर्ता से कार्य कराया जावेगा।

10. निविदाकर्ताओं को यह विदित हो कि वे निविदा दरें प्रस्तुत करते समय ध्यान रखें कि ट्रकों मे दुग्ध चूर्ण की मात्रा, प्रदेश, शासन के नियमों के अन्तर्गत ही भरी जावेगी। दुग्ध चूर्ण का परिवहन वाहन क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिये।

11. एक अथवा समस्त निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास सुरक्षित है।

12. निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत हो जाने पर रू. 1000/–(रू. एक हजार मात्र) के नॉन–ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के साथ कार्यादेश प्राप्ति से 07 दिवस में अनुबंध निष्पादित करना होगा।

13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन को यदि वह आवश्यक लगता है तो यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को 10 दिवस पूर्व सूचना के निरस्त कर सकें जिसके लिये परिवहनकर्ता किसी तरह आपत्ति नही उठा सकेगें।

14. फर्म/निविदाकार या निविदाकार के परिवार (पति/पत्नी/आश्रित सन्तान) के नाम से न्यूनतम 05 लोडिंग वाहन क्षमता न्यूनतम 10 टन आर.टी.ओ. पासिंग होना अनिवार्य है।

15. सफल निविदाकार को रू. 01 लाख सुरक्षा निधि के रूप में जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि रू. 25,000/– का समायोजन सुरक्षा निधि के रूप में किया जायेगा।

16. दुग्ध चूर्ण लोडिंग संयंत्र से लोडिंग पश्चात उज्जैन संयंत्र तक की दूरी 40 कि.मी./घण्टे की स्पीड से निर्धारित समय मे पूर्ण करनी होगी, विलम्ब की स्थिति में श्वेत मक्खन खराब/पिघलने की स्थिति में नुकसान की भरपाई परिवहनकर्ता से की जायेगी।

17. निविदा में इन्दौर, ग्वालियर एवं सीहोर से उज्जैन तक परिवहन हेतु प्रत्येक स्थान यानी इन्दौर से उज्जैन, ग्वालियर से उज्जैन एवं सीहोर से उज्जैन के लिये पृथक–पृथक न्यूनतम परिवहन दरें (L1) नियमानुसार निर्धारित की जायेगीं।

18. सामान्यतः परिवहन हेतु लगने वाले खाली वाहनों की मांग के विषय मे सूचना ठेकेदार को इस कार्यालय द्वारा दी जावेगी, ठेकेदार द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा मे यदि अतिरिक्त वाहन द्वारा कार्य कराया जाता है तो ठेकेदार से अतिरिक्त परिवहन भुगतान राशि की वसूली द्वितीय पक्ष/परिवहन ठेकेदार के देयकों से की जावेगी।

19. परिवहन कार्य के लिये मांग प्राप्ति/सूचित करने से 24 घण्टे में एक दिवस मे वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में संघ द्वारा अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था कर कार्य कराया जावेगा जिसमें होने वाले अधिक भुगतान की गई राशि ठेकेदार के देयक से वसूल की जावेगी तथा इस बाबद सूचना पृथक से ठेकेदार को देने के लिये संघ बाध्य नही होगा।

20. साधारणतः संघ मे ट्रक खाली करने का समय कार्य दिवस में प्रातः 9:00 से सायंकाल 4:00 बजे तक रहता है। तत्पश्चात वाहन आने पर संयंत्र परिसर मे खड़ा रहेगा।

21. परिवहन ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।

22. परिवहन ठेकेदार को भुगतान हेतु अपना मुद्रित देयक दो प्रतियों मे वैधानिक जानकारी सहित माल प्राप्ति की वैध रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।

23. परिवहन करते समय मार्ग मे किसी प्रकार की टूट–फूट नुकसान, दुग्ध चूर्ण गीला होना, कमी आदि के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इससे संबंधित राशि उसके परिवहन देयक एवं अमानत राशि से वसूल की जावेगी।

24. लोडिंग व्यय परिवहन ठेकेदार को वहन करना होगा।

25. परिवहन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों का व्यवहार संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों व हम्मालों के साथ सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिये। यदि ट्रक ड्रायवर की असावधानी से संघ की जान–माल, सम्पत्ति आदि की कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तर दायित्व ठेकेदार का होगा।

26. परिवहन ठेकेदार के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी ठेकेदार की होगी व यदि इस बाबद कोई हानि होगी तो राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

27. निविदा में स्वीकृत दर पर परिवहन ठेकेदार को दुग्ध संघ की आवश्यकता पर तापरोधी वाहनों में मक्खन परिवहन भी करना पड़ेगा।

28. अनुबंधकर्ता से संबधित किसी भी विवादित प्रकरण के निराकरण हेतु प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ भोपाल को प्रस्तुत किया जाऐगा निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

29. यह अनुबंध उज्जैन में निष्पादन किया जा रहा है इस कारण किसी भी विवाद को चुनौती देने हेतु उज्जैन सहकारी न्यायालय ही उक्त विवादों के निपटारा किये जाने का क्षेत्राधिकार रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

परिशिष्ट (03)

-: अनुबंध पत्र :-

यह अनुबंध पत्र लिखवा लेने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन (जिन्हे आगे इस अनुबंध पत्र मे प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ कहा गया है) एवं
------------------------------------ (जिन्हे आगे इस अनुबंध पत्र मे द्वितीय पक्ष दुग्ध चूर्ण परिवहन ठेकेदार कहा गया है) के बीच निम्न शर्तो पर, व्यवसायिक अनुबंध निष्पादित किया जा रहा है :-

1. ठेके की अवधि कार्य आदेश जारी करने के दिनांक से एक वर्ष तक रहेगी। जो कि उभय पक्ष की सहमति से 06 माह तक वृद्धि की जा सकेगी।
2. सामान्यतः परिवहन हेतु लगने वाली खाली वाहनों की मांग के विषय मे सूचना ठेकेदार को इस कार्यालय द्वारा दी जावेगी, परन्तु मूलतः संयंत्र की आवश्यकता अनुसार परिवहन हेतु लगने वाले ट्रकों की मांग प्राप्त करना ठेकेदार का ही कर्तव्य होगा। ठेकेदार द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा मे यदि अतिरिक्त वाहन द्वारा कार्य कराया जाता है तो ठेकेदार से अतिरिक्त परिवहन भुगतान राशि की वसूली द्वितीय पक्ष/परिवहन ठेकेदार के देयकों से की जावेगी।
3. परिवहन कार्य के लिये मांग प्राप्ति/सूचित करने से एक दिवस मे वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में संघ द्वारा अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था कर कार्य कराया जावेगा जिसमें होने वाले अधिक भुगतान की गई राशि ठेकेदार के देयक से वसूल की जावेगी तथा इस बावद सूचना पृथक से ठेकेदार को देने के लिये संघ बाध्य नही होगा।
4. साधारणतः संघ मे ट्रक खाली करने का समय कार्य दिवस मे प्रातः 9:00 से सायंकाल 4:00 बजे तक रहता है। तत्पश्चात वाहन आने पर संयंत्र परिसर मे खड़ा रहेगा।
5. परिवहन ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।
6. परिवहन ठेकेदार को भुगतान हेतु अपना मुद्रित देयक दो प्रतियों मे वैधानिक जानकारी उल्लेखित हो माल प्राप्ति की वैध रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
7. परिवहन करते समय मार्ग मे किसी प्रकार की टूट-फूट नुकसान, दुग्ध चूर्ण गीला होना, कमी आदि के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इससे संबंधित राशि उसके परिवहन देयक एवं अमानत राशि से वसूल की जावेगी।
8. लोडिंग व्यय परिवहन ठेकेदार को वहन करना होगा।
9. परिवहन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों का व्यवहार संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियोंव हम्मालों के साथ सौहादपूर्ण होना चाहिये। यदि ट्रक ड्रायवर की असावधानी से संघकी जान-माल, सम्पति आदि की कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
10. परिवहन ठेकेदार के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी ठेकेदार की होगी व यदि इस बावद कोई हानि होगी तो राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
11. निविदा मे स्वीकृत दर पर परिवहन ठेकेदार को दुग्ध संघ की आवश्यकता पर तापरोधी वाहनों में श्वेत मक्खन परिवहन भी करना पड़ेगा।
12. उपरोक्त शर्तो के अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारी द्वारा समय समय पर जो परिवहन संबंधी सूचनाये/आदेश दिये जावेगे, उनका पालन हेतु ठेकेदार स्वयं बाध्य होगा।

13. यह कि उक्त अनुबंध प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारियों पर समान रूप से प्रभावशील रहेगा।

14. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी।

15. उभय पक्षों मे कोई विवाद उत्पन्न होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा समस्त विवादों के प्रसंग मे न्यायिक क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

16. अनुबंध की शर्तों में उभय पक्ष की सहमति से परिस्थितिवश परिवर्तन या शिथिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन को होगा।

17. दुग्ध चूर्ण लोडिंग संयत्र से लोडिंग पश्चात उज्जैन संयंत्र तक की दूरी 40 कि.मी. / घण्टें की स्पीड से निर्धारित समय मे पूर्ण करनी होगी, विलम्ब की स्थिति में परिवहन सामग्री खराब होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई परिवहनकर्ता से की जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

परिशिष्ट (04)

तकनीकी निविदा प्रपत्र (केवल आनलाईन अपलोड करें)

1. निविदाकार का नाम (पिता के नाम सहित) ------------------------------
2. निविदाकार फर्म का नाम एवं पता (आधार कार्ड की छाया प्रति अपलोड करें) ------------------------------
3. कार्यालय का पता ------------------------------
   (अ) दूरभाष / मोबाईल नम्बर
   (ब) E.Mail
4. PAN No. (छायाप्रति अपलोड करें) ------------------------------
5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं. (छायाप्रति अपलोड करें) ------------------------------
6. FSSAI पंजीयन क्रमांक (छायाप्रति संलग्न करें) ------------------------------
7. यदि पार्टनरशिप फर्म है तो (पार्टनर के नाम एवं पते अंकित करें) ------------------------------
8. फर्म / निविदाकार या निविदाकार के परिवार के सदस्य (पति / पत्नी / आश्रित सन्तान) के नाम से वाहनों का विवरण (न्यूनतम 05 वाहन क्षमता न्यूनतम 10 मैट्रिक टन आर.टी.ओ. स्वीकृत)

क्र.	वाहन मालिक का नाम	निविदाकार से सम्बन्ध	वाहन क्रमांक	मेक	मॉडल	क्षमता (आर.टी.ओ. अनुसार)
01						
02						
03						
04						
05						

घोषणा

एतद् द्वारा मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते है कि ऊपर दिये गये विवरण मेरे / हमारे पूर्ण विवेक अनुसार सत्य है, तथा वे परिणामों के सम्पूर्ण परिज्ञान के साथ प्रस्तुतकिये गये है। मैंने / हमने संबंधित आमंत्रण पत्र, अनुबंध एवं शर्तों तथा सूची को पूर्ण रुप से अध्ययन कर लिया है, वे मुझे / हमें मान्य है।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम :-

पता :-

मोबाइल नं. :-

परिशिष्ट – (05)

–: दर प्रपत्र :–

दुग्ध चूर्ण(एस.एम.पी.) परिवहन हेतु दर प्रपत्र (केवल आनलाईन अपलोड करें)

निविदाकार/फर्म का नाम :–...

दुग्ध चूर्ण परिवहन हेतु दर (प्रति मेट्रिक टन के मान से)				
कहाँ से		कहाँ तक	दर	जीएसटी (प्रतिशत)
1	इन्दौर दुग्ध संयंत्र	उज्जैन दुग्ध संयंत्र		
2	ग्वालियर दुग्ध संयंत्र	उज्जैन दुग्ध संयंत्र		
3	जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट सीहोर	उज्जैन दुग्ध संयंत्र		

नोट :– कमांक 1, 2, एवं 3 के लिये पृथक–पृथक नियमानुसार न्यूनतम दर (L1) का निर्धारण किया जायेगी।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम :–

पता :–

मोबाइल नं. :–